राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 88/2014/जयपुर

मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड
बी–139, रोड नं. 12,वी.के.आई.ए.,
जयपुर — अपीलार्थी (संशोधन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी)

बनाम

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत,जयपुर — प्रत्यर्थी (संशोधन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी)

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से

श्री एम.एल.पाटोदी
अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक 04.12.2014

संशोधन आदेश

यह संशोधन प्रार्थना पत्र सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,विशेष वृत राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 41/2011/जयपुर मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड कोटा, बी–139, रोड नं. 12,वी.के.आई.ए.जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,राज.तृतीय,जयपुर में पारित निर्णय 27.06.2014 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संशोधन प्रार्थना पत्र के समर्थन में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड में अपील संख्या 41/2011/जयपुर प्रस्तुत की गई थी,जिसका उनवान मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड कोटा, बी–139, रोड नं. 12,वी.के.आई.ए.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,विशेष वृत राजस्थान जयपुर था, किन्तु उक्त अपील का निस्तारण करते समय टंकण की त्रुटि से निर्णय दिनांक 27.06.2014 में उनवान मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड कोटा, बी–139, रोड नं. 12,वी.के.आई.ए.जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.तृतीय,जयपुर टंकित हो गया है,जो रिकार्ड से परिलक्षित भूल होने से संशोधनीय है। अतः उक्त भूल का संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया।

व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उप राजकीय अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्को से अन्यथा तर्क प्रस्तुत नहीं किये ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड में अपील संख्या 41/2011/जयपुर प्रस्तुत की गई थी, जिसका उनवान मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड कोटा, बी–139, रोड नं. 12,वी.के.आई.ए.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,विशेष वृत राजस्थान है, किन्तु उक्त अपील का निस्तारण करते समय

टंकण की भूल से उनवान मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड कोटा, बी–139, रोड नं. 12,वी.के.आई.ए.जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. तृतीय,जयपुर टंकित हो गया है, जो रिकार्ड से परिलक्षित भूल है। अतः संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि अपील संख्या 41/2011/जयपुर के उनवान में मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड कोटा, बी–139, रोड नं. 12,वी.के. आई.ए.जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.तृतीय,जयपुर के स्थान पर मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड कोटा, बी–139, रोड नं. 12,वी.के. आई.ए.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,विशेष वृत राजस्थान, जयपुर पढा जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य